

समाहरणालय, पूर्णियाँ

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

पत्रांक-...../आ0प्र0

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पूर्णियाँ, दिनांक-.....

विषय :-

संलग्न अल्पकालीन निविदा संख्या-02/2014-15 को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने के संबंध में।

महाशय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक के द्वारा संभावित श्राद्ध-2014 को ध्यान में रखने हुए प्रभावित परिवारों एवं विस्थापित लोगों को सुरक्षित स्थानों/शिविर में सुखा राशन एवं साहाय्य सामग्रियों का क्रय के संदर्भ में संलग्न अल्पकालीन निविदा संख्या-02/2014-15 को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने हेतु भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि यथाशीघ्र समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट किया जाय।

अनुग्नक :- यथोक्त।

(पाँच प्रति में सी0डी0 सहित)

विश्वासभाजन,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

ज्ञापांक.....288...../आ0प्र0, पूर्णियाँ, दिनांक.....19.06.14.....

- प्रतिलिपि :- सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, पूर्णियाँ/नगर पंचायत कसबा एवं बनमनखी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्णियाँ/नजारत उप सभाहर्ता, पूर्णियाँ/सहायक वाणिज्यकर आयुक्त, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णियाँ को विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दो दैनिक माचार-पत्रों में प्रकाशित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, N.I.C पूर्णियाँ/आई0 टी0 मैनेजर, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आवंश को पूर्णियाँ जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।
- प्रतिलिपि :- महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि :- प्रधान-सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

समाहस्रणालय, पूर्णियाँ

(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

अल्पकालीन निविदा संख्या - 02/2014-15

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्र संख्या-1131/आओप्र0, दिनांक-27.03.2014 के आलोक में संभावित बाढ़-2014 को ध्यान में रखा/गो हुआ प्रभावित परिवारों एवं विस्थापित लोगों को सुरक्षित स्थलों/शिविरों में साहाय्य सामग्रियों को उपलब्ध कराने के लिये अधोलिखित वस्तुओं की आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में होगी। तदनुसार निम्न सामग्रियों, जिसकी पूर्ण विवरणी अंकित है, की दर निर्धारण एवं आपूर्ति के लिये इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से एतद द्वारा सीलबन्ध निविदा आमंत्रित की जाती है :-

(1) निविदादाताओं को मो0-5,000.00 (पाँच हजार) रुपये अग्रधन की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा, जो जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के नाम से विकलनीय होगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 07.07.2014 को अपराह्न 2 बजे तक आपदा प्रबंधन प्रशाखा, पूर्णियाँ के कार्यालय में निर्दिष्ट डाक अथवा, सीधे जाली जा सकती है। इसी दिन 3 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला त्रय सभित के समक्ष निविदा खोली जाएगी, जिसमें समस्त निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

सामग्री का विवरण

क्र0	सामग्री का नाम	माइज़ा	अन्य विवरण
1	नाव परिचालन संबंधी लोगबुक	-	दर प्रति सैकड़ा
2	आटा	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
3	दुड़ा	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
4	धाना देशी	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
5	गुड़	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
6	मूठी	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
7	दाल (1. आरहर 2. धना 3. मूंग 4. मसूर)	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
8	सरसों का तेल	उत्तम किस्म का	दर प्रति टोन (15 किलोग्राम)
9	मसाला--जीरा, हल्दी पाउडर, जाल मिर्च, धनिया पाउडर, गोल मिर्च पाउडर	उत्तम किस्म का	दर प्रति किलोग्राम अलग-अलग में अंकित होगा।
10	आलू+प्याज	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
11	धाना का सत्तु	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
12	पावरोटी	200 ग्राम का पैकेट	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
13	आयोडाइज्ड नमक	1 किलोग्राम का पैकेट	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
14	चीनी	मोटा	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
15	दिया बलई मझोला सईज	उत्तम किस्म का	दर प्रति पैकेट (12 की संख्या में)
16	मोमबत्ती (1.5" स्वम्या 2.5" मोलाइ)	उत्तम किस्म का	दर प्रति पैकेट (06 की संख्या में)
17	मार्केन कपड़ा का थैला	माइज़ा 2 मीटर X चौड़ाई 1.5 मीटर वाला	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगी
18	प्लास्टिक थैला	5 Kg एवं 25 Kg का (250 माइक्रोन का)	दर प्रति किलो में अंकित होगी
19	जलावन की लकड़ी (सूखी हुई)	-	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
20	खाना पकाने का सभी प्रकार का बर्तन भाड़े पर	-	दर (प्रति दिन)
21	खाना बनाने का गैस भट्टी/ चुल्हा (भाड़े पर)	-	दर (प्रति दिन)

22	जेनरेटर (भाड़े पर)	-	दर (प्रति दिन)
23	सभी प्रकार के जेनरेटर से चलनेवाले लाईट (भाड़े पर)	गरकरी, बन्द, सी0पूपा0एल0 बल्व एवं फ्लोजेन, इत्यादि	दर (प्रति दिन)
24	बॉटरपूफ टेंट/पडाल (भाड़े पर)	गिरपाल, सूती एवं प्लास्टिक इत्यादि	दर (प्रति दिन)
25	धाती	-	दर (प्रति नग)
26	साड़ी	-	दर (प्रति नग)
27	गण्डी	-	दर (प्रति नग)
28	लूगी	-	दर (प्रति नग)
29	गमछा	-	दर (प्रति नग)
30	दरी (सभी साईज में)	-	दर (प्रति नग)
31	घटाई (सभी साईज में)	-	दर (प्रति नग)
32	थाली (स्टील)	-	दर (प्रति नग)
33	कटोरा (स्टील)	-	दर (प्रति नग)
34	ग्लास (स्टील)	-	दर (प्रति नग)


 जिला पदाधिकारी,
 पूर्णियाँ।

निविदा की आवश्यक शर्तें :-

- क्र०-01 से 34 तक के लिए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग शील्ड/मुहरबन्द लिफाफे में ली जायेगी।
- तकनीकी निविदा के साथ टिन नम्बर/TIN नम्बर/अद्यतन आयकर भुगतान संबंधी प्रमाण-पत्र/दूकान की अनुज्ञाप्ति/अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
- तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
- अनुभव प्रमाण-पत्र वाले निविदादाताओं को निविदा की स्वीकृति में प्राथमिकता दी जाएगी।
- वित्तीय निविदा में सभी अनुमान्य कर परिवहन शुल्क शामिल करते हुए सामग्रियों की दर स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है।
- निविदा निर्धारण के समय निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष सामग्रियों के नमूने के साथ उपस्थित रहेंगे।
- सामग्रियों की आपूर्ति पहले मुख्यालय में करनी होगी तथा आपूर्ति सामग्रियों की गुणवत्ता एवं विशिष्टता के जाँचोपरान्त आवश्यकता अनुसार अदालतों में आपूर्ति करनी होगी। इसके लिये आपूर्तिकर्ता को परिवहन भत्ता देय नहीं होगी।
- निविदा खोलने की तिथि को निविदादाता/प्राधिकृत प्रतिनिधि समझौते के नमूने के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। बिना नमूने वाले निविदादाताओं को निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। स्वीकृत निविदादाताओं को एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा जो आपातकालीन परिस्थिति में अल्पकालीन सूचना पर स्वीकृत दर के अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति निश्चित रूप से कर देगे, अन्यथा प्रतिभूति राशि जफ्त कर उनके विरुद्ध कानून की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।
- संभावित बाढ़ की स्थिति में ही आवश्यकतानुसार सामग्रियों की आपूर्ति ली जायेगी।
- बिना कारण बताये निविदा रद्द करने एवं विगतित दर पर अन्य निविदादाताओं से सामग्रियों की आपूर्ति लेने का अधिकार अधोहरशास्त्र को सुरक्षित होगा।

12. स्वीकृत किन्हीं गये साहाय्य सामग्रियों की आपूर्ति नहीं किये जाने एवं आपूर्ति की गई साहाय्य सामग्रियों के गुणवत्ता में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निवेदा जमा किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. स्वीकृत निवेदादाताओं को छोड़कर शेष निवेदादाताओं को जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
15. निवेदा संबंधी कोई भी आपत्ति या दावा का निराकरण व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ के अधीन होगा। विशेष जानकारी के लिये आपका प्रबंधन प्रशाखा, पूर्णियाँ जिला से सम्पर्क कर सकते हैं एवं विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाइट dm.purnea.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।
16. आपूर्ति की गई सामग्रियों के विरुद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार पैठ/आश्चर्य की कटौती भुगतान के समय की जायेगी।
17. आपूर्ति सामग्रियों की गुणवत्ता एवं विशिष्टता सत्यापन के प्रभावतः अनुमान्य विक्रीकर, आश्चर्य एवं अन्य करों की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

५/१२/२०१५

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।